

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ
प्रकरण संख्या 02/2020
दायर दिनांक: 15.09.2020

उनवान

1. मनतादेवी पत्नि जयप्रकाश जाति मीणा उग्र बालिग निवासी चारणवास मण्डलाजी तहसील जमवारामगढ, जयपुर

— प्रार्थीयां

बनाम

1. नाहरसिंह पिता नाना मीणा निवासी लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. जगन्नाथ पिता नाना मीणा निवासी लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. दुर्गालाल पिता नाना मीणा निवासी लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. नुकेश पिता नाना मीणा निवासी लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. दिनेश पिता नाना मीणा निवासी लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

— अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री सांवरनल रेवारी :- अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रितुराजसिंह राठौड:- अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 18.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री सांवरनल रेवारी के दिनांक 06.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे नाम ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 201/122 रकबा 0.4856 है0, 202/122 रकबा 0.5666 है0, 190/120 रकबा 0.1214 है0 भूमि खातेदारी हक में रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थीया अनुसूचित जनजाति की महिला है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को कभी भी अप्रार्थीगण को विक्रय, रहन या भागीदारी पर नहीं दी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण खातेदारी खातेदार है। प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण ने करीब एक वर्ष पूर्व अवैध कब्जा कर लिया जिस हटाने बावत अप्रार्थीगण से निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि तुम्हारी भूमि की पत्थरगढी करवा लेना तुम्हारी भूमि मेरे कब्जे में निकलेगी तो हम हमार कब्जा हटा लेंगे। इस पर प्रार्थी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया। आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला द्वारा दिनांक 06.06.2020 को उक्त भूमि की मुस्तकील विन्दूओ से पत्थरगढी की गई तो आराजी नं. 201/122 रकबा 0.4856 है0 सम्पूर्ण, 202/122 रकबा 0.5666 है0 सम्पूर्ण एवं 190/120 रकबा 0.1214 है0 में से 0.05 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा पाया गया। विपक्षीगण को कब्जा छोड़ने बावत निवेदन किया तो विपक्षीगण ने कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीया ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर भूमि प्रार्थी को संपूर्ण करने बावत निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, विवादित भूमि की जमावंदी व पत्थरगढी-मौका पर्चा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया।

दिनांक 06.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रितुराज सिंह राठौड ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की ओर से पत्र चाही जाकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा गया। जो न्यायहित में दिया गया।

दिनांक 26.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता रितुराज सिंह राठौड ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

दिनांक 28.12.2020 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर करीब एक वर्ष पूर्व कब्जा नहीं किया बल्कि अप्रार्थीगण वर्षों से कागिज है। राजस्व अधिकारी पत्थरगढी करने मौके पर आये तब प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी ने उक्त भूमि किसी व्यक्ति से बिना कब्जा तस्दीक के खरीद लिया है। अप्रार्थीगण को पुराने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से साठ गाठ करके जगदीश पिता वरदा भीणा निवासी लक्ष्मणगढ ने उक्त भूमि को अपने नाम आवंटन करा लिया है तथा जगदीश भीणा ने आने पोने दामो में बिना कब्जा बताये उक्त भूमि को प्रार्थी को विक्रय कर दिया है। अप्रार्थीगण ने यह भी अंकित किया कि उक्त आवंटन निरस्तीकरण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहां अपील प्रस्तुत कर दी है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहां आवंटन निरस्तीकरण के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेशात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमावंदी की नकल, पत्थरगढी का मौका पर्चा, जवाब प्रार्थना पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के आवंटन निरस्तीकरण बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत करना अंकित किया है लेकिन इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. आराजी नं. 201/122 रकबा 0.4856 है० सम्पूर्ण, 202/122 रकबा 0.5666 है० सम्पूर्ण एवं 190/120 रकबा 0.1214 है० में से 0.05 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण को बंदखत कर कब्जा प्रार्थीया ममतादेवी पत्नि जयप्रकाश जाति भीणा निवासी चारणवास गन्जाजी तहसील जमवारामगढ, जयपुर को संभलाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की उपस्थिति में सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को लिखा जाकर पत्रावली फेरसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक/न्याय/2021/02/2020

दिनांक 18.01.2021

प्रेषिति,

भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला
तहसील माण्डलगढ

विषय:- अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 02/2020 उनवान ममतादेवी पत्नि जयप्रकाश मीणा बनाम नाहरसिंह पिता नाना मीणा वगैरह मे पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

--000--

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2020 उनवान ममतादेवी पत्नि जयप्रकाश जाति मीणा बनाम नाहरसिंह पिता नाना मीणा वगैरह मे दिनांक 18.01.2021 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अनुसार ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 201/122 रकबा 0.4856 है0 सम्पूर्ण, 202/122 रकबा 0.5666 है0 सम्पूर्ण एवं 190/120 रकबा 0.1214 है0 मे से 0.05 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीया ममतादेवी पत्नि जयप्रकाश जाति मीणा निवासी चारणवास गज्जाजी तहसील जमवारामगढ, जयपुर को संभलाया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- निर्णय की प्रति


तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ